



उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (वि०),

लखनऊ

Email id: cpftrust.2004@gmail.com

Website- www.uppst.org

पत्र सं०- /80/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020/

दिनांक:- 30/07/2022

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को/
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।

विषय:-ई०आर०पी० Payroll Master Data में अंकित त्रुटिपूर्ण विवरणों के निराकरण हेतु।

कृपया उपरोक्त विषयक ट्रस्ट कार्यालय के पत्र सं०-1097/80/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020 दिनांक-19.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डिस्कॉम/निगम में कार्यरत समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों का ई०आर०पी० Payroll Master Data में अंकित त्रुटिपूर्ण विवरणों (यथा PF Trust Id, CPF/GPF No. Employee Name, Father Name & Husband Name) को ESS Portal पर उपलब्ध "Employee Master Update" Form के माध्यम से सुधारने/अपडेट करने हेतु दिनांक-25.07.2022 का समय प्रदान किया गया था। कर्मिकों द्वारा ESS Portal के माध्यम से अंकित शुद्ध विवरणों के Verification तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मिकों एवं किसी कारणवश अनुपस्थित कर्मिकों के विवरण अंकित करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारियों को दिनांक-31.07.2022 तक का समय प्रदान किया गया है।

आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा verify किये गये Employee Master Data का SAP GUI पर T-Code "ZHR_MAST_CORR" के माध्यम से अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि अभी भी अधिकांश Employees का Master Data सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों के स्तर पर Verify किया जाना शेष है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त कार्य को अधिकांश आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। साथ ही उच्च प्रबन्धन द्वारा उक्त कार्य में अनावश्यक विलम्ब होने पर नाराजगी व्यक्त की है।

संज्ञान में आया है कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा केवल उन्ही कर्मिकों का Master Data Verify किया जा रहा है, जिनका Master data अशुद्ध है। इस सम्बन्ध में पुनः सूचित करना है कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ समस्त कर्मिकों (केवल उन कर्मिकों को छोड़कर जो कि किसी अन्य कम्पनी/निगम से पावर कारपोरेशन में कार्यरत है अथवा जिन कर्मिकों के वेतन से की गई भविष्य निधि अंशदान की कटौती को विद्युत विभाग के सी०पी०एफ०/जी०पी०एफ० ट्रस्ट कार्यालय में प्रेषित किया जाना प्राविधानित नहीं है) का Master Data SAP GUI पर T-Code "ZHR_MAST_CORR" के माध्यम से Verify किया जाना अनिवार्य है।

उक्त के दृष्टिगत कार्य की गम्भीरता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, जिनके द्वारा अभी तक अपने अधीनस्थ कर्मिकों का Master Data SAP GUI पर T-Code "ZHR_MAST_CORR" के माध्यम से अवलोकन/परीक्षण करते हुए Verify नहीं किया गया है, को दिनांक-10.08.2022 तक का समय प्रदान करते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य को उच्च प्राथमिकता पर पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निष्पादित करना सुनिश्चित करें। किसी भी संशय की स्थिति में उपरोक्त संदर्भित पत्र में उल्लेखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक:यथोपरि।

(एस०के० अवस्थी)
सचिव (ट्रस्ट)

पत्र सं०-1159/80/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020/तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/ मेरठ/आगरा/कानपुर।

2. निदेशक (वित्त/का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त/का० एवं प्र०), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण), उ०प्र०पा०का०लि०/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/आगरा।
9. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उपमहाप्रबन्धक (वित्त प्रबन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. उपसचिव, उ०प्र०पा०का०लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट/उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. लेखाधिकारी (सी०पी०एफ०), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
15. लेखाधिकारी (के०भु०प्र०), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों के माध्यम से समस्त कर्मिकों का Employee Master Data निर्धारित समय-सीमा में Verify कराना सुनिश्चित करें।
16. लेखाधिकारी (सा०प्र०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, महानगर, लखनऊ।
17. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान/वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. समस्त लेखाधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट/उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।



(एस०के० अवस्थी)
सचिव (ट्रस्ट)